अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2020 (RCMS 2020/00014) अनवान् सतनाम सिंह पुत्र भूर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 2 एफ.डी.एम., तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सतनाम सिंह स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2018 प्रस्तुत कर 5(पांच) बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सतनाम सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 17.07.20189 के प्रार्थना पत्र से निम्न सूचनाएं चाही थी :

> श्रीमती आशा मेहता पत्नी श्री सुधीर मेहता जाति मेहता निवासी जयपुर को दिनांक 17.07.2006 को चक 4 एस.पी.डी. के प0न0 68/336 में किला न0 1 से 25 में 6.325 है। कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी की गई। उक्त खातेदारी सनद जारी करने की सम्पूर्ण पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार (एसडीएम), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2954 दिनांक 21.10.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र (प्राप्त दिनांक 01.10.2019) के सम्बन्ध में रिकार्ड लिपिक की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा चाही गई पत्रावली की तलाश की गई, जो बाद तलाश कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नही पाई गई। खातेदारी सनद किस प्राधिकारी/

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय द्वारा, किस श्रेणी में तथा किस नम्बर से जारी की गई है आदि विवरण आप द्वारा अंकित नही किया गया है। डॉ. सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा0 गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना सृजित करके नही दी जा सकती है। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है। आप द्वारा वांछित अभिलेख तलाश हेतु आवश्यक पूर्ण विवरण एवं विशिष्टियों के अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जान संभव नही है। अतः आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर है। सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी जिला
अभिलेखागार (एसडीएम)
सूरतगढ

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड/2020/1 दिनांक 27.01.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

उपुर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार जवाब मय टिप्पणी निम्नानुसार है:

1. अपील के बिन्दु सं. 1 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रा0 प्रस्तुत करना स्वीकार है, जो इस कार्यालय में दिनांक 01.10.2019 को प्राप्त हुआ।
2. अपील के बिन्दु सं. 02 अनुसार प्रार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के संम्बन्ध मे प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2954 दिनांक 21.10.2019 (प्रति संलग्न) जवाब प्रेषित किया गया कि रिकार्ड लिपिक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्रावली की तलाश की गई जो बाद तलाश कार्यालय अभिलेख

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में उपलब्ध नही पाई गई। खातेदारी सनद किस प्राधिकारी/कार्यालय द्वारा, किस श्रेणी में तथा किस नम्बर से जारी की गई है आदि विवरण प्रार्थी द्वारा अंकित नही किया गया। डॉ0 सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा0 गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना सृजित करके नही दी जा सकती है। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा वांछित अभिलेख तलाश हेतु आवश्यक पूर्ण विवरण एवं विशिष्टियों के अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार खारिज कर दिया गया।

3. अपील के बिन्दु सं. 3 का जबाव उपर्युक्त बिन्दु सं. 2 अनुसार है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वांछित अभिलेख तलाश हेतु आवश्यक पूर्ण विवरण एवं विशिष्टियों के अभाव में इस कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2954 दिनांक 21.10.2019 द्वारा दी जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार के हर्जे खर्चा पाने या अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

अतः उपुर्यक्तानुसार जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वांछित अभिलेख तलाश हेतु आवश्यक पूर्ण विवरण एवं विशिष्टियों के अभाव में इस कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2954 दिनांक 21.10.2019 द्वारा जी जा चुकी है। अतः विनम्र निवेदन है कि अपील अपीलार्थी निराधार होने से खारिज फरमावें।

प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा जारी सनद से पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई है और उसके द्वारा सनद संख्या 1468 की प्रति पेश की है जो आशा मेहता के नाम से जारी की गई है, जिसकी नकल जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के कार्यालय से जारी की गई है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त सनद् से सम्बन्धित अभिलेख भी उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के कार्यालय में उपलब्ध होगा। इसलिए अपीलार्थी की आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है। अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को इस आदेश की साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है वे अपीलार्थी को सुनकर एवं कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड में से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अगर सूचना देय हो तो उसे उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर